<u>न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारी ::: बनवारी लाल (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 113/2017

सरकार बनाम सुमेर पुत्र रामजीलाल, जाति–नायक, निवासी–काजी

<u>राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत</u>

निर्णय दिनांक : 04.09.2017

<u>निर्णय</u>

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सुमेर पुत्र रामजीलाल, जाति–नायक, निवासी–काजी द्वारा रोही मौजा काजी की राजकीय भूमि ख.नं. 187 के कुल रकबा 48.54 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.02 है0 भूमि पर फसल बाजरा काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया गया कि उसने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही कर रखा है। शिकायत झूठी की गई हे। अपनी भूमि पर ही फसल काश्त की है। अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 04 पर वर्ष 2017-18 में रुपये 5/- कायम किए
राजस्व लेखाकार

(बनवारी लाल)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़